तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.19/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी हुए
15.3.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी शेराराम प्रजापत पुत्र श्री मिशाराम प्रजापत, निवासी– आई माता होटल कम्पाउण्ड, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री आई माता भोजनालय, एन.एच. 62, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 09.1.2022 को दौरानें गश्त फर्म श्री आई माता भोजनालय, एन.एच. 62, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी शेराराम प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1696 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./129/Act/2022/115 दिनांक 01.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08.3.2023 को प्रतिवादी शेराराम प्रजापत इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह छोटा व्यापारी है। उसने पनीर को अन्य फर्म से खरीद किया था एवं जिस स्थिति में खरीद किया हुआ उसी स्थिति में विक्रय किया है, उसने पनीर में कोई मिलावट नही की है। वह खाद्य पदार्थ पनीर से सब्जी आदि खाद्य सामग्री बनाकर बेचता है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही करुंगा। यह मेरा प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा [illegible] दिनांक 09.1.2022 को [illegible] ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.19/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री आई माता भोजनालय, एन.एच. 62, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी शेराराम प्रजापत पुत्र श्री मिशाराम प्रजापत, निवासी– श्री आईमाता होटल कम्पाउण्ड, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ पनीर से खाना व सब्जी बनाकर आम जनता को बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म श्री आई माता भोजनालय, एप.एच. 62, वेराविलपुर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के खाना व सब्जी बनाने में उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता शेराराम प्रजापत को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने श्री आई माता भोजनालय के अन्दर एक फ्रिज में स्टील के भिगोनें में रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 3 किलोग्राम में से एक किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर को एक साफ, खाली, सूखे भिगोनें में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/– (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) विक्रेता शेराराम प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1696, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनेद कुमार शर्मा ने प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा पनीर को इन चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद कर प्रत्येक शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया [illegible] नमूना [illegible] अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत[illegible] भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त [illegible] S-1696 [illegible] लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.19/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 10.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 09.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म श्री आई माता भोजनालय, एन.एच. 62, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता शेराराम से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द [illegible] जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में [illegible]षक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ [illegible] 1696 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S/129/Act/[illegible]/115 दिनांक 20.1.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1696 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक मजि. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

ग्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.19/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी शेराराम प्रजापत पुत्र श्री मिशाराम प्रजापत, निवासी– आई माता होटल कम्पाउण्ड, वेरावेलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री आई माता भोजनालय, एन. एच. 62, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी शेराराम प्रजापत पुत्र श्री मिशाराम प्रजापत, निवासी– आई माता होटल कम्पाउण्ड, वेरावेलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री आई माता भोजनालय, एन.एच. 62, वेराविलपुर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी शेराराम प्रजापत को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18.4.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:32 IST
Reason: SelfAttested